

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत प्रेषित किये जाने वाले प्रस्ताव पर मुख्य वन संरक्षक रायपुर वृत्त रायपुर एवं वनमंडलाधिकारी धमतरी का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन

1	परियोजना का नाम	भारतमाला परियोजना अंतर्गत भारत में माल दुलाई की दक्षता में सुधार के लिये आर्थिक गलियारों, अंतर-गलियारों फीडर मार्गों और तटिय सड़क का विकास (लॉट नं. 03/ओडिशा और झारखंड/पैकेज 2) रायपुर-विशाखापटनम कि.मी. 0.00 से 124.661 कि.मी.) भारतमाला परियोजना के तहत छत्तीसगढ़ राज्य में (वन प्रस्ताव 42.844 से 124.661 कि.मी. के बीच के लिये है) धमतरी जिले के धमतरी वनमंडल के तहत वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु रकबा -147.6694 हेक्टेयर प्रस्तावित है।		
2	आवेदक/आवेदक का विभाग का नाम	परियोजना निदेशक, परियोजना क्रियान्वयन इकाई धमतरी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ब्लाक एफ-5 शिवराज ग्रीन्स धमतरी		
3	गैर वानिकी कार्य जिस हेतु वन भूमि की मांग	भारतमाला परियोजना अंतर्गत रायपुर विशाखापटनम तक आर्थिक कॉरीडोर हेतु सड़क निर्माण हेतु।		
4	आवेदित क्षेत्र की स्थिति	जिला	वनमंडल	परियोजना स्थल
		धमतरी	धमतरी	उत्तर सिंगपुर, दक्षिण सिंगपुर, करेगांव, बिरगुड़ी के अंतर्गत प्रस्तावित वनभूमि
5	वन भूमि का विस्तृत विवरण	वनखंड	कक्ष क्र.	आवेदित क्षेत्र का क्षेत्रफल
	(क) सीमांकित संरक्षित वन	-	-	-
	(ख) आरक्षित वन	एनआरएफ बेलोरा पार्ट	58	8.9759
		78 कुसुमखुंटा, 79 केंवराडीह	60	3.6014
		78 कुसुमखुंटा, 79 केंवराडीह	61	6.8383
		84 धनबुड़ा, 85 भालुचुवा	113	15.9804
		बासीखाई, कोटरवाही	112	9.5973
		बासीखाई, कोटरवाही	121	2.5539
		कोर्रा	111	6.5667
		कोर्रा	110	5.6280
		कोर्रा	109	5.7802
		टाटेकसा	108	6.5104
		168 पालवाड़ी पार्ट	103	5.4729
		168 पालवाड़ी पार्ट	103A	1.3919
		168 पालवाड़ी पार्ट	105A	4.4803
		डोकाल	106	1.2355
		168 पालवाड़ी पार्ट	105	17.0207
		169 पालगांव गोदलानाला	414	5.8050

		169 पालगांव गोदलानाला	412	1.2369								
		169 पालगांव गोदलानाला	413	6.6223								
		169 पालगांव गोदलानाला	433	5.8292								
		169 पालगांव गोदलानाला	434A	5.9408								
		180 घोटगांव – कोंगेरा पार्ट	435	7.1454								
		180 घोटगांव – कोंगेरा पार्ट	436	2.6139								
		आमदी	439	3.5660								
		180 घोटगांव – कोंगेरा पार्ट	441	5.7128								
		180 घोटगांव – कोंगेरा पार्ट	442	1.5633								
	योग :-			147.6694								
		ग्राम का नाम	खसरा क्रमांक	आवेदित क्षेत्र हे.								
	(ग) असीमांकित संरक्षित वन	—	—	—								
	(घ) राजस्व वनक्षेत्र	—	—	—								
	योग :-	—	—	—								
	कुल योग :-			147.6694 हेक्टेयर								
6	आवेदित वनक्षेत्र में वनों की वर्तमान स्थिति प्रकार	साल/सागौन/मिश्रित										
		साईट क्वालिटी II, III, IV, IV A, IV B										
		घनत्व 0.4 से 0.6										
7	आवेदित क्षेत्र में वृक्षों का विवरण	प्रजाति	कुल वृक्षों की संख्या									
		सागौन, साल, साजा, बीजा, भिरा, हल्दू, मोयन, शीशम, मुण्डी, सलई, अन्य	62715 वृक्ष									
8	आवेदित क्षेत्र में प्राकृतिक पुनरुत्पादन की स्थिति	पर्याप्त पुनरुत्पादन										
9	आवेदित क्षेत्र की (विशेष कर खनिज प्रकरणों में) मुख्य मार्ग से (पी.डब्ल्यू.डी./ वनमार्ग आदि) से दूरी (जिसे स्पष्ट रूप से मानचित्र में भी अंकित करें।)	प्रस्तावित क्षेत्रों के अंतर्गत वनक्षेत्रों में खनिज प्रकरण नहीं हैं										
10	क्या आवेदित क्षेत्र किसी क्षेत्र (राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण, बायोस्फेयर रिजर्व, प्राकृतिक झील / वाटर बाड़ी, आदिवासी सैटलमेंट क्षेत्र, धार्मिक स्थल) की सीमा के 5 वर्ग कि.मी. के अंतर्गत है अथवा नहीं ? यदि हां तो संक्षिप्त विवरण प्रतिवेदित करें।	आवेदित क्षेत्र किसी क्षेत्र की सीमा के 5 वर्ग कि.मी. के अंतर्गत वाटर बाड़ी उपलब्ध विवरण निम्नानुसार है :- वाटर बाड़ी का विवरण <table><tr><th>क्र.</th><th>नाम</th></tr><tr><td>1</td><td>प्राकृतिक जल रिसाव कक्ष क्र. 129 (परिक्षेत्र केरेगांव) 20°32'18.29" 81°44'18.38"</td></tr><tr><td>2</td><td>नरहरा जलप्रपात (कक्ष क्र. 112) (परिक्षेत्र केरेगांव)</td></tr><tr><td>3</td><td>खैरभरी जलाशय(कक्ष क्र. 433) (परिक्षेत्र बिरगुडी)</td></tr></table>			क्र.	नाम	1	प्राकृतिक जल रिसाव कक्ष क्र. 129 (परिक्षेत्र केरेगांव) 20°32'18.29" 81°44'18.38"	2	नरहरा जलप्रपात (कक्ष क्र. 112) (परिक्षेत्र केरेगांव)	3	खैरभरी जलाशय(कक्ष क्र. 433) (परिक्षेत्र बिरगुडी)
क्र.	नाम											
1	प्राकृतिक जल रिसाव कक्ष क्र. 129 (परिक्षेत्र केरेगांव) 20°32'18.29" 81°44'18.38"											
2	नरहरा जलप्रपात (कक्ष क्र. 112) (परिक्षेत्र केरेगांव)											
3	खैरभरी जलाशय(कक्ष क्र. 433) (परिक्षेत्र बिरगुडी)											

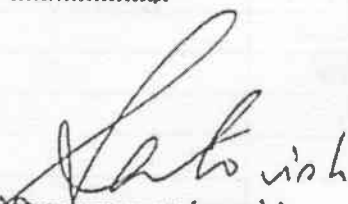
11	आवेदित वन क्षेत्र के अलावा अन्य गैर वानिकी कार्य हेतु उपलब्ध है अथवा नहीं (विशेषकर खनिज उत्खनन प्रकरणों में आवेदित क्षेत्र के आसपास के 20 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में गैर वन क्षेत्र का निरीक्षण कर जिलाध्यक्ष/ भारत सरकार/ राज्य सरकार द्वारा पूर्ण रवीकृत खदानों की संख्या	नहीं है।
12	आवेदित क्षेत्र में आवेदक द्वारा अधिनियम का उल्लंघन किया गया है या नहीं ? यदि हां तो संक्षिप्त विवरण दें।	नहीं।

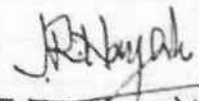
प्रमाण-पत्र

उपरोक्त जानकारी/विवरण मेरे द्वारा किए गए भौतिक निरीक्षण के आधार पर है। आवेदक द्वारा मांग की गई वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन (भारतमाला परियोजना अंतर्गत भारत में माल ढुलाई की दक्षता में सुधार के लिये आर्थिक गलियारों, अंतर-गलियारों फीडर मार्गों और तटिय सड़क का विकास (लॉट नं. 03/ओडिशा और झारखंड/पैकेज 2) रायपुर-विशाखापटनम कि.मी. 0.00 से 124.661 कि.मी.) भारतमाला परियोजना के तहत छत्तीसगढ़ राज्य में धमतरी जिले के धमतरी वनमंडल अंतर्गत 147.6694 हे. वनभूमि (वन प्रस्ताव 42.844 से 124.661 कि.मी. के बीच के लिये है) दिये जाने की अनुशंसा की जाती है।

दिनांक :- 25-12-2021

स्थान :- धमतरी


राजेंद्र कुमार (भा.व.सो.)
वनमंडलाधिकारी
धमतरी वनमंडल धमतरी


जे.आर. नायक (भा.व.सो.)
मुख्य वन संरक्षक
रायपुर वृत्त रायपुर